

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 10/2021

ओमिकिशन पुत्र कान्ता प्रसाद पेशा मजदूरी, जाति खाती, निवासी ढाका मण्डी, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

-अपीलांत

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

-रेस्पोंडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना
उनवानी सरकार बनाम ओमिकिशन अं० धारा 91 एल०आर०एक्ट 1956
मु०न० 113/2020 निर्णय दिनांक 07.09.2020


उपस्थिति:-

1. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, एडवोकेट -----अपीलान्त की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -----रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 28.07.2023

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 07.09.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम ओम किशन मु० नं० 113/2020 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि - अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में मौके के संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा हल्का पटवारी के बयान नहीं लिये। वर्तमान में प्रार्थी के मकान के आस-पास 100-150 पक्के मकानत है, आबादी है, सभी घरों में विधुत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन है। भूमि खसरा नंबर 175 के पुराने खसरा नंबर 126 है तथा प्रार्थी के दादा के समय से कब्जे में चली आ रही है तथा यह प्रार्थी के पिता कान्ता प्रसाद के नाम से 777 वर्गगज का पट्टा दिनांक 10.11.1975 का बना हुआ है। तब से प्रार्थी के पिता कान्ता प्रसाद व उसके बाद प्रार्थी व उसका भाई मदनलाल इसी


 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 झुंझुनू

पट्टेशुदा जमीन पर अलग अलग मकान बनाकर रह रहे हैं। यह 777 वर्गगज पट्टाशुदा भूमि दिनांक 24.11.1975 को नियमन जरिये निर्णय तहसीलदार खेतड़ी के द्वारा हो चुकी है। इस प्रकार उक्त जमीन प्रार्थी के दादा के समय से कब्जे में चली आ रही है। इस भूमि के पास चारों ओर सैकड़ों मकान बने हुये हैं केवल प्रार्थी के विरुद्ध ही धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई है। अंत अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 07.09.2020 सरकार बनाम ओमकिशन निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि- अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने बिना मौके की जांच किये केवल हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर केवल प्रार्थी के विरुद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की की है। मौके पर पूर्ण रूप से आबादी बसी हुई है करीब 100-150 घर आबाद है सभी के विधुत व पानी के कनेक्शन है। विवादित भूमि के संबंध में अपीलांत के पास वर्ष 1975 से उनके पिता के नाम से 777 वर्गगज भूमि का पट्टा है जो तहसीलदार खेतड़ी द्वारा नियमन की हुई भूमि है जिस पर अपीलांत व उसका भाई अपने पिता के समय से पक्के मकानात बनाकर आबाद है। विवादित भूमि को लेकर प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जहां से अपीलांत के पक्ष में स्थगन आदेश है। अतः अपील अपीलांत सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांत खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रकरण सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेट, बुहाना में विचाराधीन होने एवं प्रार्थीगण/अपीलांत की ओर से प्रस्तुत पट्टे

सुनी

की हद तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। आदेश की प्रति प्रास्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सनट/पट्टे के संबंध में अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2020 उनवानी सरकार बनाम ओम किशन मु0नं0 113/2020 धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य सिविल न्यायालय आदि के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः गुणवगुण पर विवेचना करते हुये विधिसम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़तर हो।

ॐ
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ॐ
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू